

FORM-I

(For Linear Projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Banswara

No. 4(2) 2164/2014/270

Dated : 8/3/19

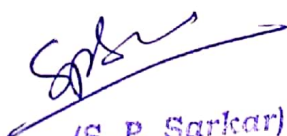
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

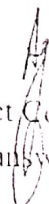
In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' in short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013, 5th July 2013 and 15th Jan 2014 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 1.9003 Hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD (RRVPL)**, for construction of **132 KV D/C LILO from 132 KV S/C Bagidora-Mahi PH2 line to 132 KV GSS Chordi, Distt Banswara** (Purpose for diversion of forest land) Bagidora forest range and Banswara forest division of Banswara District falls within jurisdiction of Gram Panchayat Tandi Nani village Bakaner, Khasara No. 101 & 125 (0.405 Hectare) and Gram Panchayat Khuta Machar Village Lilwani, Khasara No. 1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 (1.4953 Hectare), total 1.9003 Hectare in Tehsil Gangar Talai & Bagidora, District Banswara of Rajasthan State.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.9003 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s): Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Sub Officer, Banswara and Deputy Conservator of Forest, Banswara have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Enclosed :- As above


(S. P. Sarkar)
 Executive Engineer (T&C)
 R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj)


 District Collector,
 Banswara

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

-:: बैठक कार्यवाही विवरण ::-

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, बांसवाड़ा की बैठक आज दिनांक 01-03-2019 को अपराह्न 03.00 बजे जिला कलक्टर सभाकक्ष में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारीगण एवं मनोनीत सदस्यगण उपस्थित हुए :-

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाड़ा।
3. श्री मानसिंह जि. पं.स. मु. गागरवा पो. घोड़ी तेजपुर तहसील छोटी सरवन।
4. श्री उदयलाल जि. प. स. मु. मदनपुरा पो. भोयर तहसील गनोड़ा।

बैठक में निम्न प्रयोजनार्थ वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु उपखण्ड स्तरीय समिति घाटोल तथा बागीदौरा जिला बांसवाड़ा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने की अनुशंसा की जाने हेतु निम्नानुसार समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये :-

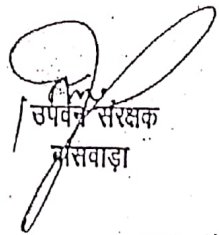
क्र.सं.	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	प्रयोजन
1	बागीदौरा	लीलवानी	1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14	1.9003 हैक्टेयर	132 के.वी. जी एस.एस. चौरड़ी के लिए डबल सर्किट लीलो लाईन हेतु भूमि का प्रत्यावर्तन
	गांगडतलाई	बाकानेर	101, 125		
2	घाटोल	जगपुरा	1545	2.00 हैक्टेयर	माही परियोजना के अन्तर्गत वन खण्ड उमरझला से जगपुरा वितरिका के निर्माण हेतु भूमि का प्रत्यावर्तन

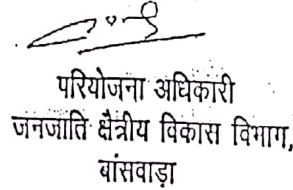
इसी प्रकार बैठक में उपखण्ड स्तरीय की अनुशंसा एवं उपवन संरक्षक बांसवाड़ा से परीक्षण उपरान्त वनाधिकारों की मान्यता अधिनियम, 2006 के तहत प्राप्त उपखण्ड बागीदौरा के 17 बांसवाड़ा 23 एवं घाटोल के 21 सामुदायिक दावों इस प्रकार कुल 61 सामुदायिक एवं सज्जनगढ़ के 57 एकल दावों में हक पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

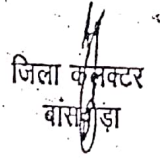
उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा द्वारा परीक्षण उपरान्त कमी-पेशी होने से कुरालगढ़ के 30 एवं गढ़ी के 02 तथा घाटोल के 17 बांसवाड़ा का 13 इस प्रकार कुल 61 सामुदायिक दावों तथा उपखण्ड घाटोल के 13 एवं बांसवाड़ा 01 तथा आनन्दपुरी के 08 एकल दावा इस प्रकार कुल 22 एकल दावों वापस उपखण्ड स्तरीय समिति को गिजवाने का निर्णय लिया गया है।

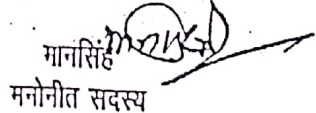
अतः उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से उपखण्ड स्तरीय समिति घाटोल एवं बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार तहसील घाटोल के ग्राम जगपुरा के आराजी नम्बर 1545 रकबा 2.00 हैक्टेयर माही परियोजना के अन्तर्गत जगपुरा वितरिका के निर्माण हेतु तहसील बागीदौरा के ग्राम लीलवानी के आराजी नम्बर 1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 तथा तहसील गांगडतलाई के ग्राम बाकानेर के आराजी नम्बर 101, 125 में से रकबा 1.9003 हैक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन कर प्रमाण-पत्र जारी करने एवं उक्तानुसार कुल 61 सामुदायिक तथा 57 एकल दावों में वनाधिकार हक पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया।

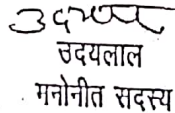
अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


उपवन संरक्षक
बांसवाड़ा

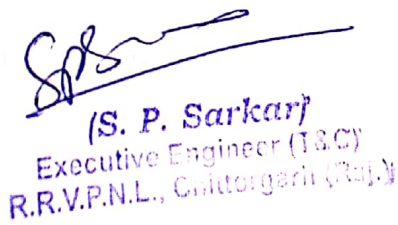

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
बांसवाड़ा


जिला कलक्टर
बांसवाड़ा


मानसिंह
मनोनीत सदस्य


उदयलाल
मनोनीत सदस्य

Rev-2019 work (Rajkumar) - 211


(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (I & C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा (राजस्थान)

पता : कलेक्टर बांसवाड़ा (327001)

Ph. No. : (02962) 242968 & 240945 (Fax) 240002

E-mail ID : rajban@nic.in (NIC)

bsw.center03@gmail.com (Collectorate)

क्रमांक :- एफ 4 (2) राजस्व/वनाधिकार/2016/ 263

दिनांक :- 7-3-19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. उपवन संरक्षक, बांसवाड़ा।
2. उपखण्ड अधिकारी घाटोल/गढ़ी जिला बांसवाड़ा।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग बांसवाड़ा।
4. अधिशासी अभियंता, भवन एवं दायाँ मुख्य नहर खण्ड माही परियोजना, बांसवाड़ा।
5. श्री मानसिंह जि. प.स. मु. गागरवा पो. घोड़ी तेजपुर तहसील छोटी सरवन।
6. श्री उदयलाल जि. प. स. मु. मदनपुरा पो. भोयर तहसील गनोड़ा।
7. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा, जिला:- बाँसवाड़ा (राज.)

क्रमांक / राजस्व / 2019 / 113

दिनांक :- 19-2-2019

प्रेषित :-

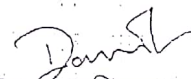
श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
बाँसवाड़ा।

विषय :- 132 केवी जीएसएस, चौरडी के लिए 132 केवी डबल सर्किट लीलो लाईन के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु उपखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक कार्यवाही भिजवाया जायत्।

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ 4 (1) राजस्व/2019/11 दिनांक 02.01.2019 के संदर्भ में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र की अनुपालना में निवेदन है कि 132 केवी जीएसएस, चौरडी के लिए 132 केवी डबल सर्किट लीलो लाईन हेतु उपखण्ड कार्यालय अधोहरस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में बैठक का आयोजन दिनांक 18/2/19 को किया गया जिसकी बैठक कार्यवाही श्रीमान् जी की सेवा में इस पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाई जा रही हैं।


उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा


(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा, जिला:- बाँसवाड़ा (राज.)

वैठक-वनाधिकार /

दिनांक :- 18-2-2019

उपखण्ड स्तरीय बैठक

आज दिनांक 18/2/19 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागीदौरा की बैठक आयोजन किया गया। जिसमें निम्नांकित उपस्थित हुए :-

क्र.सं.	नाम सदस्यगण	हस्ताक्षर	मोबाईल नम्बर	वि.वि.
1	बागीदौरा विकास अधिकारी		995065667	
2	बागीदौरा विकास अधिकारी		9950490183	
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी, बागीदौरा		9001959164	
4	पंचायत समिति सदस्य पं. स. बागीदौरा		8290709631	
5	पंचायत समिति सदस्य पं. स. गांगड़तलाई		9828155924	

श्रीमान जिला कलक्टर, बाँसवाड़ा के पत्र क्रमांक एफ 4 (1) राजस्व/2019/11 दिनांक 02.01.2019 की अनुपालना में बैठक का आयोजन किया गया। 132 केवी डबल सर्किट लीलो चौरडी लाईन लोकेशन नं. 41 से 45 जो कि वन भूमि के अन्तर्गत आती है, वह ग्राम लीलवानी खसरा नं. 1/375, 2/376, 2/379, 6/380, 6, 7, 13/411, 13, 14 तथा ग्राम बाकांगर खसरा नं. 101, 125 से होकर गुजरेगी जो कि वन विभाग के वनखण्ड धुलियागढ़ पंचाल 'A' एवं राखो देवी लीलवानी 'B' के अन्तर्गत आती है। उपरोक्त वनखण्ड के कुल क्षेत्रफल 1.9000 हेक्टेयर भूमि पर इस लाईन का कार्य करवाया जाना है।

उक्त प्रकरण में 132 केवी डबल सर्किट लीलो चौरडी लाईन के निर्माण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 के तहत प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में रखा गया, जिसमें समिति को कोई आपत्ति नहीं है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति को 132 केवी डबल सर्किट लीलो चौरडी लाईन हेतु लोकेशन नं. 41 से 45 के निर्माण हेतु स्वीकृति एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सहमत है। अनुशासित करती है।

विकास अधिकारी
बागीदौरा

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बागीदौरा

उपखण्ड अधिकारी
बागीदौरा

(S. P. Sarkar)

Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

कार्यालय पंचायत समिति गांगडतलाई जिला-बांसवाडा (राज.)

क्रमांक-पंसगा./18-19/122

दिनांक-8/02/019

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
वागीदौरा

विषय :-ग्राम पंचायत टाण्डी नानी में अनापति प्रमाण के कम में।

महोदयजी

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 132 के वी विधुत राजस्थान राज्य विधुत के निर्माण के सम्बन्ध ग्राम पंचायत टाण्डी नानी कि ग्राम सभा दिनांक 26.01.2019 को 132 केवी लिलो चोरडी लाईन निर्माण हेतु प्रस्ताव सर्व सहमती से पारित किया गया निर्माण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत को कोई आपति नहीं है। आगे ग्राम पंचायत टाण्डी नानी से अनापति प्रमाण श्रीमान् की सेवा में प्रेषित है।

प्राप्त

विकास अधिकारी

पंचायत समिति गांगडतलाई


(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

कार्यालय ग्राम पंचायत टाण्डी नाणी

पंचायत समिति गोंगडतलाई जिला नांदगाव (राज.)

क्रमांक :

दिनांक : 26/01/2019

आज्ञापित

प्रमाण पत्र

देवगो

— श्रीमान विनायक अधिकारी महोदय

पंचायत समिति गोंगडतलाई जिला नांदगाव

विषय :- 132 केवी लीनो-जॉइंट लाईन परम एम्बेल्डिंग

132 KV SIC Banswar - Mahi bh-2 के 132 KV LSS

Chordd) के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण

निगम को ग्राम बाळोनेर से सम्बन्धित वन भूमि प्राप्तावधि

सन्दर्भ :- श्रीमान उपरवर्त अधिकारी कागौदरा (बाळोनेर)

के पत्रेक रे. राजस्व/200/26 दिनांक 08-01-2019 के

पालनाथ

उपरोक्त विषयमगति सन्दर्भित पत्र के क्रम से निवेदन है कि

आपके उक्त पत्र के माध्यम से 132 केवी लीनो-जॉइंट लाईन

(Perom existing 132 KV SIC Banswar - Mahi Ph 2

से 132 KV LSS Chordd) के निर्माण के सम्बन्ध के अन्तर्गत

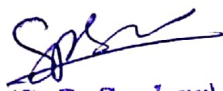
दिनांक 26-1-2019 को ग्राम सभा आयोजित की गई जिसमें

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त विद्युत लाईन के

निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

तथा उक्त वन भूमि के सम्बन्ध से कोई दावा अस्तित्व में नहीं है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत टाण्डी नाणी
पं.स. गोंगडतलाई, जि. नांदगाव



(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

आज दिनांक 26/01/2019 को अटल सेवा केन्द्र
ग्राम पंचायत हाण्डीनाली पर जीमिति नाली देवी गंगारिया
सरपंच महोदय की अध्यक्षता में राज्य सरकार के
निदेशानुसार पंचायत गांगडतलाई के आदेश क्रमांक - पसगा/स्था/
2018-19/89 दिनांक 22/1/2018 के आदेश अनुसार
ग्राम सभा का आयोजन 28/1/2019 को ग्राम पंचायत
के नागरिक व वार्ड पंच सभा ग्राम सभा में भाग लिया
और ग्राम सभा के आदेश अनुसार 28 जनवरी को
होने वाली ग्राम सभा में वास्तविक सचिव महोदय था।

एव नागरिक आपुति विभाग राजस्वात जयपुर के पत्र
क्रमांक एप्प 13(11) आ-वि/आवतन/सा.ओ/ 2018 जयपुर
दिनांक 17-01-2019 के प्रसंग में राज्य सुरक्षा अधिनियम 2018
की धारा 28 एव माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों
अनुसार 05/01/2019 को ग्राम सभा में ग्राम सभा के अध्यक्ष
होकर अंतर्गत जारी निर्देशों की पालना
में उचित मुल्य दुकानों एवं आर्थिक वितरण प्रणाली
के विकास के सम्बन्ध में 28 जनवरी ग्राम पंचायत
2019 को आयोजित ग्राम सभा में समाजिक अवेक्षण
किया जाना है।

राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा अधिनियम प्राधान की वितरण माह
वितरण किए जाने वाले आधान की दर तथा चयन की
वर्ति पत्र पर सुनाया गया।

पंचायत सभा 250-300 परिवार आधारी सुरक्षा से संबंधित है
अनुसार सभा (2) - ग्राम सभा का आयोजन
132 के नीचे लीलो चोरडी लारिन के निर्माण वगैरे के
द्वारा आने वाले वन सभा में उक्त लारिन ग्राम पंचायत
हाण्डीनाली के ग्राम व वार्ड के निम्न प्रकार सभा
से गुजर रही है। वार्ड नं. 101 लम्बाई
95 मी. चौड़ाई 25 मी. (2) सभा नं. 125 लम्बाई
55 मी. चौड़ाई 25 मी. अनुसूचित जनजाति और परम्परा
वैत निवारण अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा सशोधन नियम
2013 के अन्तर्गत शांति, स्थिरता व न आर्थिक समिति
में आर्थिक वन सभा के सम्बन्ध में कोई दावा लिखित नहीं
होने के कारण गांगडतलाई ग्राम सभा के उक्त
सम्बन्धित कार्य से कोई आपुति नहीं है।

श्री 30 मी. हाण्डीनाली
ग्राम पंचायत
पंचायत गांगडतलाई, जि. बाराबाड़ा

कोटेशन
सोहन
दिनेश
कुमार
गोवाल
वापसी
माता
शेखर
शर्मा

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chattergam (Raj P)

५२०११११
 ५१११
 ५२०११११
 ५१११

विरा
 दुःखालाल
 मजीष
 रमेश
राम

२०।३
दिने ३ म० ५
लो २७। ३०।
ते ३। ३। ३।
गु ३। ३। ३।
म ३। ३। ३।
म ३। ३। ३।

[Signature]

[illegible]

कार्यालय पंचायत समिति बागीदौरा जिला बांसवाडा (राज.)

क्रमांक: बांसवा/राजस्व /2018-19/127

दिनांक :- 06.02.19

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड कार्यालय बागीदौरा।

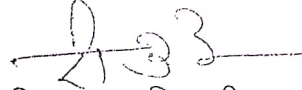
विषय:- ग्राम पंचायत खूंटासछार अनापत्ति प्रमाण पत्र भिजवाने के क्रम में।

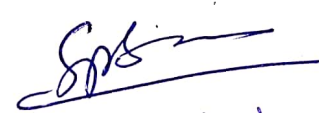
सन्दर्भ:- आप कार्यालय पत्र क्रमांक राजस्व/2019/26 दिनांक 08.01.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि ग्राम पंचायत खूंटासछार के ग्राम लिलवानी में सम्बन्धित वन भूमि प्रत्यावर्तन 132 K.V निर्माण का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


विकास अधिकारी
पंचायत समिति बागीदौरा


(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

ck

कार्यालय ग्राम पंचायत खुंटा मछार



ग्राम पंचायत खुंटा मछार (राज.)

क्रमांक 62

दिनांक 22/01/2019

अलापित प्रमाण पत्र

श्रीमान विकास अधिकारी गहोदवाडी

प. रा. बागीदोरा त्रिना बांसवाडा

विषय 132 के.वी. लीली चौरडी लार्ज (from existing 132 KV SLR Bamsawal - Mahi PH-2 to 132 KV class Chaurdi) के निर्माण हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण विभाग की काम लीलवाली में शकलित वत कृमि उत्पादन के संदर्भ में।

अवगत श्रीमान उपरक्त अधिकारी बागीदोरा (बांसवाडा) के प्रतीक स. राजस्थान/26 दिनांक 08/01/2019 के फाहवाक।

उपरोक्त विषयवर्तित संदर्भित पत्र के काम में विवेक है कि आपके अवगत में माहवम में 132 के.वी. लीली चौरडी लार्ज (from existing 132 KV Bamsawal - Mahi PH-2 to 132 KV class Chaurdi) के निर्माण के प्रस्तावित दिनांक 19/1/2019 की काम सका आगोशित की (विशेष) सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उक्त विद्युत के निर्माण कार्य के करने से किसी को कोई आनित लही तथा कल वत कृमि के संभव से कोई होवा लम्बित लही है। अतः उक्त निर्माण कार्य में अलापित प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

[Signature]
अ.प. खुंटा मछार प.स.

543
ग्राम विकास अधिकारी
आ.प. खुंटा मछार प.स.
बागीदोरा त्रिना

[Signature]
(S. P. Sarkar)

Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chaudhgarh (Raj.)

बैच लेमिगी हेटा

जिला कांसवाड़ा (तल.) नं. 2419 ..

Sps

Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)

Scanned by CamScanner

3271001

• वींच

[illegible]

• निम्न

[illegible]

—(राज.) वर्ष २०१३.

(S. P. Sarkar)
Executive Engineer (T&C)
R.R.V.P.N.L., Chittorgarh (Raj.)